

सं.17048/54/2025-आईपीएस एसीआर सेल

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पुलिस-1 प्रभाग

(आईपीएस एसीआर सेल)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक, 23 मई, 2025

सेवा में

सभी राज्य सरकारों/मंत्रालयों/सीएपीएफ/सीपीओ और अन्य संगठनों के एपीएआर के संरक्षक।

विषय: रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा एआईएस अधिकारियों (आईएएस/ आईपीएस/ आईएफएस) के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग के लिए समयसीमा का विस्तार - के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मई 2025 के पत्र संख्या 11059/04/2025-एआईएस-III की एक प्रति संलग्न करने तथा यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, ने एआईएस (प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमों की अनुसूची 2 तथा 7ए के साथ नियम 5(1) में छूट देते हुए वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्ड करने की मौजूदा समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है, ताकि प्रत्येक प्राधिकरण को पर्याप्त समय दिया जा सके, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

गतिविधि	कट ऑफ तिथियां	
	मौजूदा	संशोधित
चालू वर्ष के लिए स्व-मूल्यांकन	31 मई, 2025	30 जून, 2025
रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	31 जुलाई, 2025	31 अगस्त, 2025
समीक्षा प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	30 सितंबर, 2025	31 अक्टूबर, 2025
स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	31 दिसंबर, 2025	31 दिसंबर, 2025

2. राज्य सरकार, मंत्रालयों, सीएपीएफ, सीपीओ और अन्य संगठनों के एपीएआर के संरक्षकों से अनुरोध है कि वे तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और सेवा के सदस्य (एमओएस) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 16.04.2025 के कार्यालय ज्ञापन के बारे में सूचित रखें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार



(राजेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 011-23094008

ई-मेल: rajesh.kumar96@nic.in

प्रतिलिपि अग्रेषित -

- 1) स्पैरो सहायता टीम, इस अनुरोध के साथ कि इस संबंध में सभी आईपीएस अधिकारियों को संदेश भेजा जाए।
- 2) अवर सचिव (पीसी), पी-1 डिवीजन, गृह मंत्रालय, अनुरोध है कि उक्त कार्यालय जापन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय जापन दिनांक 16.05.2025 के साथ वेबसाइट: ips.gov.in पर विधिवत अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

राजेश कुमार
23/5/2025
(राजेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 011-23094008

ई-मेल: rajesh.kumar96@nic.in

No. 11059/04/2025-AIS-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated the 16th May, 2025

To,
The Chief Secretaries of States / UTs

Subject: Extension of timelines for recording of PAR for the year 2024-25 in respect of AIS officers (IAS / IPS / IFS) by the Reporting / Reviewing / Accepting authorities - reg.

Sir / Madam,

I am directed to refer to the relevant provisions for recording of PAR under AIS (PAR) Rules, 2007 as amended from time to time. In this regard, reference is invited to the difficulties being faced by the AIS officers in submission of self-appraisal while recording PAR for year 2024-25.

2. Accordingly, the matter has been duly considered in this Department and it has been decided with the approval of the Competent Authority to extend the existing timelines for recording PAR for the year 2024-25 by 01 month, in relaxation of Rule 5(1) read with Schedule 2 of AIS (PAR) Rules and 7A so as to give sufficient time to each authority, as indicated below: -

Activity	Cut off dates	
	Existing	Revised
Self Appraisal for current year	31 st May, 2025	30 th June, 2025
Appraisal by Reporting Authority	31 st July, 2025	31 st August, 2025
Appraisal by Reviewing Authority	30 th September, 2025	31 th October, 2025
Appraisal by Accepting Authority	31 st December, 2025	31 st December, 2025

3. Notwithstanding anything contained herein, no remarks may be recorded after 31st December, 2025 in the PAR of AIS officers for the PAR year 2024-25, in accordance with the 2nd proviso of Rule 5(1) of the AIS (PAR) Rules, 2007, as amended.

4. The aforesaid relaxation is accorded as one-time measure only.


(Bhupinder Pal Singh)

Under Secretary to the Government of India

Ph:011-23093479

Copy for information and necessary action to:

1. All the Ministries / Department of Government of India
2. The Ministry of Home Affairs, being cadre controlling authority for IPS, North Block, New Delhi.
3. The Ministry of Environment, Forest & CC, being cadre controlling authority for IFS, Lodhi Road, Jor Bagh, New Delhi.
4. The Under Secretary, EO (PR) Section, DoP&T - for information and necessary action
5. NIC, DoP&T